

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
परिवहन विभाग,
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली-54

सं०एफ० 19(04)/परि० वि०/सचि० शा०/2018/345

दिनांक- 7-8-2018

सेवा में,


उप- सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय,
दिल्ली-54

विषय : दिनांक 09.08.2018 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० - 79

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100-100 प्रतियाँ संलग्न हैं।

भवदीय,




(विकास जैन)
पी.सी.ओ. (सचि०)
5/9 Under Hill Road, Delhi-54

विभाग का नाम	—	परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता	—	5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली-54
तारांकित प्रश्न संख्या	—	79
प्रश्नकर्त्ता का नाम	—	श्री अजेश यादव
दिनांक	—	09-08-2018

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या डीटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी केशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पात्र हैं;	जी नहीं, सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिये केशलेस मेडिकल स्कीम का प्रावधान नहीं है।
ख)	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;	डी.टी.सी. में मेडिकल स्कीम केवल कार्यरत कर्मचारियों के लिये वर्ष 1991 से डी.टी.सी.बोर्ड रेजोलेशन संख्या 82/1991 के अनुसार क्रियान्वित है जब कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिये डी.टी.सी. बोर्ड के रेजोलेशन संख्या 109/2008 के अनुसार DGEHS स्कीम का प्रावधान किया गया था। परन्तु दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान न किये जाने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को DGEHS स्कीम देय नहीं हो पाई।
ग)	क्या सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह सुविधा देने का कोई प्रस्ताव है; और	जी नहीं।
घ)	यह योजना कब तक लागू हो जाएगी?	

हस्ताक्षर


(वर्षा जोशी)

VARSI
विभागाध्यक्ष
Secretary cum Commissioner (T)
Transport Department
GNCT Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi